गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्र. 25 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(नैक द्वारा **A++** मान्यता प्राप्त)
कोनी,बिलासपुर- 495009 (छ.ग.)
दूरभाष: 07752–2602009 फैक्स : 07752–260154
ईमेल-: rajbhashacellggu@gmail.com,वेबसाइट: www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
(A++ Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : rajbhashacellggu@gmail.com. Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 74/ अकादमिक /2024 बिलासपुर, दिनांक- 11.06.2024

कार्यालयीय ज्ञाप

सीयूईटी पीजी प्रवेश सूचना, दिशानिर्देश 38/अकादमिक/2024, दिनांक- 30.04.2024 के संदर्भ में और **सीयूईटी पीजी प्रवेश - 2024** लिए, अनुमोदन उपरांत निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है -

1. आवेदकों को CUET PG 2024 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ऑफलाइन/फेस-टू-फेस काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। कार्यक्रम निम्नानुसार है -

कार्यवाही	दिनांक	संबंधित विभाग में उपस्थिति /पंजीकरण का समय
प्रावीण्य सूची की घोषणा	27.06.2024	
अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश/शुल्क जमा करने के लिए प्रथम चरण की ऑफलाइन काउंसिलिंग	12.07.2024	प्रातः 09.30 बजे से 11.30 बजे तक
दूसरे चरण की प्रावीण्य सूची की घोषणा	16.07.2024	
अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश/शुल्क जमा करने के लिए दूसरे चरण की ऑफलाइन काउंसिलिंग	22.07.2024	प्रातः 09.30 बजे से 11.30 बजे तक
यदि आवश्यक हो तो तीसरे चरण की मेरिट सूची की घोषणा	25.07.2024	
यदि आवश्यक हो, तो प्रवेश के लिए तीसरे चरण की ऑफलाइन काउंसिलिंग /अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करना	30.07.2024	प्रातः 09.30 बजे से 11.30 बजे तक
कक्षाओं का प्रारंभ	01.08.2024	

2. विभागाध्यक्ष अपनी प्रवेश समिति के माध्यम से आवेदकों को ऑफ़लाइन काउंसिलिंग के लिए कट ऑफ अंकों के बारे में सूचित करेंगे और 29.06.2024 को या उससे पहले उम्मीदवारों को ईमेल करेंगे। विभागों द्वारा चरणवार कट ऑफ अंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.new.ggu.ac.in (नई वेबसाइट) पर भी प्रकाशित किए जाएंगे।
3. स्नातकोत्तर स्तर (बी.एड., बी.पी.एड., बी.लिब. सहित) कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदक ईमेल प्राप्त होने या वेबसाइट www.new.ggu.ac.in पर कट ऑफ अंक प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ इस ऑफ़लाइन काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं-
   i. 10 वीं /हाई स्कूल अंकसूची
   ii. 12 वीं /हायर सेकंडरी अंकसूची
   iii. स्नातक/स्नातकोत्तर अंकसूची
   iv. जाति/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
   v. CUET पीजी आवेदन पत्र
   vi. CUET पीजी स्कोर कार्ड
   vii. शुल्क जमा करने के लिए मोबाइल और डेबिट/क्रेडिट कार्ड में पर्याप्त राशि होनी चाहिए।

   (मूल स्थानांतरण (टीसी) /प्रवजन/ चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज अगले चरण की काउंसिलिंग से पहले प्रवेशित उम्मीदवारों से एकत्र किए जाएंगे, हालांकि उम्मीदवार काउंसिलिंग के समय भी अपना टीसी जमा कर सकते हैं)

   काउंसिलिंग के समय टी.सी. जमा न करने वाले अभ्यर्थियों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अगले चरण की काउंसिलिंग से पहले टी.सी. जमा कर देंगे।

4. विभागाध्यक्ष अपनी प्रवेश समिति के माध्यम से काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थियों से शैक्षिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज (अर्थात 10 वीं , 12 वीं और स्नातक/स्नातकोत्तर अंकसूची की छायाप्रति) और जाति/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, जमा करेंगे तथा मूल दस्तावेजों के साथ उसका सत्यापन करेंगे तथा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करेंगे।

5. ऑफ़लाइन काउंसिलिंग में उपस्थिति या प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त होने मात्र से आवेदक को किसी विषय में प्रवेश के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक वह आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं कर लेता/लेती। अगर किसी आवेदक को अनजाने में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है, जो आवश्यक दस्तावेजों के साथ न्यूनतम पात्रता की शर्त को पूर्ण नहीं करता/करती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

6. फीस का भुगतान मोबाइल या स्वाइप मशीन के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। विश्वविद्यालय में एक बार जमा की गई फीस कक्षाएं शुरू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार

2/4

को वापस नहीं की जाएगी। हालांकि, विश्वविद्यालय के सुसंगत अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवारों को प्रतिदेय शुल्क वापस किया जाएगा।

7. काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थियों की अंकसूची और स्कोर कार्ड की फोटोकॉपी प्राप्त करने और पात्रता की जांच करने के बाद, संबंधित विभाग किसी विशेष कार्यक्रम में अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार करेगा और ऑफलाइन काउंसिलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए इसे अपने नोटिस बोर्ड पर लगभग 01.00 से 02.00 बजे के बीच चस्पा करेगा।

8. **उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची CUET PG 2024 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जाएगी। हालाँकि, CUET अंकों में किसी भी तरह की बराबरी की स्थिति में, स्नातक कक्षा के उच्च प्रतिशत को मेरिट के लिए माना जाएगा, आगे बराबरी की स्थिति में कक्षा 12 वीं के उच्च प्रतिशत और फिर 10 वीं कक्षा के उच्च प्रतिशत को मेरिट के लिए माना जाएगा। आगे की बराबरी की स्थिति में उम्र में अधिक बड़े छात्रों को मेरिट में शामिल किया जाएगा।**

9. **मेरिट सूची के प्रकाशन के बाद चयनित अभ्यर्थी अपना प्रवेश/सीट सुरक्षित करने के लिए सेमेस्टर फीस जमा कर सकते हैं। विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय द्वारा विभागों को उपलब्ध कराई गई स्वाइप मशीन के माध्यम से सेमेस्टर फीस जमा करेंगे। किसी भी तकनीकी समस्या या गलती की स्थिति** में संबंधित विभागाध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक **"ऑनलाइन भुगतान"** पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से फीस जमा की जा सकती है।

10. विभागाध्यक्ष प्रत्येक चरण के प्रवेश के बाद संबंधित अधिष्ठाता से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.new.ggu.ac.in पर प्रवेशित छात्रों और रिक्त सीटों की सूची प्रकाशित करेंगे। विभागों द्वारा प्रवेशित छात्रों का विवरण SAMARTH पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा।

11. सभी सत्यापन और प्रावीण्य सूची तैयार करने का काम विभाग की प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा। विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रवेश प्रक्रिया का समन्वय करेंगे और काउंसलिंग के समय आवश्यकतानुसार प्रवेश के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करेंगे।

12. इस काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

3/4

पृष्ठांकन क्रमांक/75/अकादमी/2024 बिलासपुर, दिनांक- 11.06.2024

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. समन्वयक, आईटी सेल को सूचनार्थ तथा सभी के सूचनार्थ वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के सूचनार्थ ।
4. समस्त अधिष्ठाता /विभागाध्यक्ष/अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. मीडिया प्रभारी/जन संपर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्ताधिकारी/सहायक कुलसचिव, वित्त, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार शुल्क संग्रहण प्रक्रिया के समन्वय हेतु ।
7. कुलानुशासक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (अकादमी)